न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/8978

दिनांक –18/10/2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 खुमानसिंह 2 पदमसिंह पिसरान नवलसिंह 3 भीखकंवर पत्नि दौलतसिंह 4 शैलेन्द्रसिंह 5 हरीसिंह पिसरान दौलतसिंह जाति राजपुत निवासी जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 अचलसिंह पुत्र रामसिंह वगैराह जातियान राजपूत निवासी जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 846/2025

दिनांक–13/10/2025

आदेश

उपर्युक्त, **प्रकरण मौजा जालीपा पटवार हल्का जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 157 रकबा 8.2232 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 225/163 रकबा 12.4724 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 364/155 रकबा 2.9218 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 576/148 रकबा 0.8175 हैक्टेयर, भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी

क्रमांक :– रीडर/2025/8979-8982

दिनांक– 18/10/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खुमानसिंह पुत्र नवलसिंह जाति राजपुत निवासी जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण अचलसिंह पुत्र रामसिंह वगैराह जातियान राजपूत निवासी जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:40:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर